विषय:-- तहसील किशनगंज जिला बांरा के 5 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत।
प्रसंग:-- राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(4) राज-1/2010 दिनांक 18.02.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील किशनगंज जिला बांरा के 5 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना दिनांक 18.02.2020 अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेंटी को 15 दिवस में सम्भालकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(गजानन्द शर्मा)
भू-प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक /फा /समसंख्यक /
प्रतिलिपि:--

1) प्रभारी, आई.टी. शाखा मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की छाया प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

(सहायक) भू-प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
राजस्थान सरकार
राजस्थान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज. -1 / 2010
जयपुर, दिनांक 18-2-2010

--- : अधिसूचना ---

राजस्थान राज-राजस्थान अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारा के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक क्रमांक : प0 13(15)राज./ग्रुप-1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप-1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संकियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी कोटा को अपर भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 193 ग्रामों में अभिलेखों का आशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 05 ग्राम यथा हीपुर, गाडीघटा, कापडीखेड़ा, सोड़ाना एवं हिंदौब अभिलेखों का आशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाकर अपूर-भ-अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राजपत्र की आज्ञा से

(राकेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारा।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक को पुष्पग्रंथ/समू/भूकर/11/2/4/2009-10/95 दिनांक 17.01.2020
4. अधीक्षक, केन्द्रीय राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लें है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान सरकार
राजस्थान (ग्रुप-1) विभाग

कमांक : प0 13(4)राज.-1/2010

जयपुर, दिनांक 18-2-2010

अधिसूचिना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना के अनुसार करने का कमांक कमांक कमांक : प0 13(15)राज. / ग्रुप-1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज. / ग्रुप-1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज. / ग्रुप-1 / 2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 193 ग्राम बन्द घोषित हो चुके हैं। शेष रहे ग्रामों में से 05 ग्राम यथा हीरापुर, गाडीघटा, कापडीखेड़ा, सोड़ाना एवं छिनोद का सर्वेक्षण/तरमीम पूर्ण करवाया जा चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्राम में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राकेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः 

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11//2/4/2009-10/2891 दिनांक 13.07.2016।
4. अधीक्षक, कैन्दीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव